न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस.

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना– पत्र धारा अन्तर्गत 212 राज. काश्तकारी अधि.1955

मुकदमा नम्बर 57 / 2023

जीसीएमएस नम्बर 2023 / 109

अनवान

प्रार्थी :–

1. लाखा पुत्र फगलु, जाति– रेबारी, निवासी– बिजरोल खेड़ा, तहसील–सांचौर, जिला– सांचौर

अप्रार्थीगण :–

1. मांगाराम पुत्र रूपाराम
2. रतनाराम पुत्र रूपाराम
3. सांवलाराम पुत्र रूपाराम
4. लीला पुत्र प्रेमा पत्नी भीखाराम
5. संतोष देवी पत्नी रूपाराम, जातियान– रेबारी, निवासीगण – बिजरोल खेड़ा
6. अधिशाषी अभियंता, जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सांचौर
7. सहायक अभियंता, जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड सांचौर
8. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

<u>निर्णय</u> दिनांकः–23.07.2024

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बिजरोल खेडा पटवार हल्का बिजरोल में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त खाता संख्या 28 के खसरा नम्बर 854 रकबा 1.00 है0 खसरा नम्बर 590 रकबा 0.71 है0, खसरा नम्बर 604 रकबा 1.14 है0 , खसरा नम्बर 605 रकबा 0.02 है0 एवं खसरा नम्बर 606 रकबा 1.23 है0 कुल रकबा 4.10 है0 के आये हुए है, जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य बहामी बंटवाडा हो चुका है एवं प्रार्थी खसरा संख्या 604, 584 एवं 590 में काबिज काश्त है एवं शेष आराजी पर अप्रार्थीगण कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल एवं उपजाऊ भूमि पर कब्जे का प्रयास अप्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा है एवं प्रार्थी की सहमति के बिना बिजली कनेक्शन लेकर वादग्रस्त आराजी में परिवर्तन करना चाहते है। एवं ऐसी ऐलानियां धमकियां प्रार्थी को दे रहे है। अप्रार्थीगण को ऐसा करने से रोकने हेतु दावा स्थाई निषेधाज्ञा का मजबुत आधारों पर पेश किया है, जिसमे सफल होने की पुर्ण संभावना है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखलनंदाजी न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य एजेन्ट, मजदूर आदि से करावे। वादग्रस्त आराजी का बैचान, रहन [illegible] वसीयत आदि नहीं करें एवं [illegible] प्रार्थी की सहमति बिना कृषि किसी प्रकार का कोई [illegible] के निस्तारण तक विधुत कनेक्शन स्थापित नहीं कर [illegible] बनाए रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.08 17:40:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस [illegible] किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की तरफ से जवाब पेश किया गया। दीगर अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 8 राज पैरोकार उपस्थित परन्तु जवाब प्रस्तुत नही करना चाहते है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के दादा व प्रार्थी के पिता फगलु जी रेबारी थे, जो फौत हो चुके है और वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थी 1/3, अप्रार्थी 1 लगायत 3 व 5 का अलग सेढे कायम होकर भू विभाजित है। एवं उसी प्रकार कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त भूमि पर रहवासी ढाणी, कृषि कुंए व सिचाई के साधन आदि विकसित कर शांतिपूर्ण काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 590 रकबा 0.71 है0 मे से 0.355 है0 भूमि प्रार्थी लाखा एवं 0.355 है0 भूमि अप्रार्थीया संख्या 4 लीलादेवी के कब्जा काश्त की है। खसरा संख्या 584 रकबा 1.00 है0 में से 0.275 है0 प्रार्थी 0.275 है0 अप्रार्थीया संख्या 4 एवं 0.45 है0 भूमि अप्रार्थीगण क्रमांक 1 ता 3 एवं 5 के कब्जे काश्त में है। खेत खसरा संख्या 604 एवं 606 कुल रकबा 2.37 है0 मे से 0.79 है0 भूमि प्रार्थी एवं शेष अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की है। अप्रार्थीया संख्या 4 अपने पिता की इकलौती संतान है तथा प्रार्थी एंव उसके बेटे उसकी संपति हड़पना चाहते है, अतः अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने हेतु प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण को जब ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी ने अपनी भूमि सुधार हेतु विधुत कनेक्शन प्राप्त किया है, तो उसको बाधित करने के लिए मिथ्या तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। कृषि भूमि में विधुत कनेक्शन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 19 मे विहित श्रेणी का विकास कार्य है, जो कृषि भूमि के लिए अति आवश्यक है। कृषि कनेक्शन रूकवाने हेतु चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा कतई आधारहीन होने से खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र में स्वीकृत तथ्य अनुसार जब 1/3 हिस्से की भूमि 30–40 वर्ष से बहामी बंटवाडा अनुसार से प्रार्थीगण को किसी प्रकार का नुकसान संभव नहीं है,

अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र आधारहीन व सारहीन होने से खारिज योग्य है।

बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई एवं उस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं संगत विधिक प्रावधानो का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के विशेष भू– भाग पर अपना कब्जा– काश्त प्रार्थना पत्र में बताया है एवं अप्रार्थीगण ने उसमे से कुछ भागों पर उनका कब्जा काश्त स्वीकार नहीं किया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के संयुक्त खातेदार है एवं बहामी बंटवाडा अनुसार कब्जा– काश्त है। अप्रार्थीगण अपनी भूमि विकास हेतु कृषि विधुत कनेक्शन चाहते है तथा प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड अनुसार हक– हिस्से से किसी प्रकार इंकार नहीं कर रहे है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी 1/3 एवं अप्रार्थीगण 2/3 हिस्से के खातेदार है ए[illegible] कब्जा काश्त है। [illegible] बंटवाडा के मूलवाद के

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त [illegible] परिवर्तन नहीं करे एवं निस्तारण तक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण [illegible] भूमि पर कच्चा एवं कायम माठों की स्थिति में किसी प्रकार का [illegible] कुएं व बोरवेल की खुदाई पक्का निर्माण कार्य दोनो पक्ष नहीं करे। उभय पक्ष [illegible]क रूप से स्वीकृत है, तो नहीं करे, यदि कोई पुराना कृषि विधुत कनेक्शन [illegible] हेतु आवेदन नही करें कृषि विकास हेतु प्राप्त कर सकते है, लेकिन नवीन कनेक्शन हेतु आवेदन नही करें

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.08 17:40:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

एवं नवीन कूप/ट्यबवैल नही खुदवाएं। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **23.07.2024** को सर–ए– इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.08 17:40:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner